

संचिका सं० : एम०-01-14/2020 -

3769  
आदेश

पटना, दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 ई०।

भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 437/6/Campaign/ECI/INST/FUNCT/MCC-2016 दिनांक 04.01.2017 के आलोक में भारतीय जनता पार्टी से प्राप्त आवेदन के क्रम में प्रचार वाहनों (एल.सी.डी. टी.वी., ध्वनि यंत्र सहित) वाहन संख्या-(1) BR03K 5693, (2) UP15ET 4721 का राज्य अन्तर्गत सिवान जिला में चलाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती है :-

1. परिवहन विभाग के नोडल पदाधिकारी के पत्रांक 7266 दिनांक 01.10.2020 से उक्त वाहनों का "Motor Vehicle Act" (यथा अद्यतन संशोधित सहित) के तहत प्रमाण पत्र निर्गत है।
2. वीडियो वैन जिस जिले में प्रयुक्त की जायेगी, उस जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी को सूचित करना होगा।
3. वीडियो वैनों के जिला में आवागमन हेतु रूटचार्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जायेगा।
5. यदि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी की फोटो या उसके नाम का उल्लेख किये बिना राजनैतिक दलों के द्वारा वीडियो वैन का प्रयोग दल के सामान्य प्रचार के लिए किया जाता है तो इस पर होने वाले व्यय को पार्टी के खाते में डाला जायेगा और इसकी सूचना लोक सभा के मामले में राजनैतिक दल को 90 दिनों के अंदर तथा विधान सभा निर्वाचनों के मामले में निर्वाचनों की समाप्ति के पश्चात् पार्टी द्वारा 75 दिनों के अंदर दे दी जानी चाहिये।
6. यदि अभ्यर्थी के नाम या फोटो वीडियो वैन पर प्रदर्शित किये गये हैं या फिर अभ्यर्थी का कोई पोस्टर/बैनर उस पर प्रदर्शित किया गया है और वह वीडियो वैन उसी के निर्वाचन क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है, तो वह व्यय उस अभ्यर्थी के खाते में डाला जायेगा।
7. वीडियो वैनों को संबंधित जिला में जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि वह रास्ते में प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे तथा जिला में पहुँचने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी को सूचित करने के उपरान्त ही वीडियो वैनों का संचालन करेंगे।
8. "Motor Vehicle Act" (यथा अद्यतन संशोधित सहित) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. वीडियो वैन के लाउड स्पीकरों द्वारा Noise Pollution Rules के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।
10. वीडियो वैन के माध्यम से प्रसारित सामग्री (content) का MCMC कमिटी से pre-certification अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
11. इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 437/6/Campaign/ECI/INST/FUNCT/MCC-2016 दिनांक 04.01.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त वर्तमान तथा समय-समय पर निर्गत भारत निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू होंगे तथा किसी भी स्तर पर प्रावधानों एवं शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के स्तर से वाहनों के परमिट समाप्त कर दिया जायेगा।


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के आदेश से,

  
(गोपाल मीणा)

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक - एम०-०१-१४/२०२० - 3769 पटना, दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 ई०।  
प्रतिलिपि :- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, सिवान को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनु० :- भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक  
437/6/Campaign/ECI/INST/ FUNCT/  
MCC-2016 दिनांक 04.01.2017

  
(गोपाल मीणा)

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक - एम०-०१-१४/२०२० - 3769 पटना, दिनांक 02 अक्टूबर, 2020 ई०।  
प्रतिलिपि :- श्री राधिका रमण, प्रदेश संयोजक, चुनाव आयोग सेल, भाजपा, बिहार को उनके पत्र दिनांक 28.09.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित शर्तों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाये।

अनु० :- भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक  
437/6/Campaign/ECI/INST/ FUNCT/  
MCC-2016 दिनांक 04.01.2017

  
(गोपाल मीणा)

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।